मध्यप्रदेश शासन

श्रम विभाग

वल्लभ भवन, भोपाल

//आदेश//

भोपाल, दिनॉक 04/6/19

क्रमांक एफ 28-02-2019/ए-16, मध्यप्रदेश शासन एतद् द्वारा मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना के अन्तर्गत प्रदेश के असंगठित श्रमिकों का चिन्हांकन किया गया एवं योजना के अन्तर्गत पंजीयन हेतु उनसे आवेदन-मय-घोषणा पत्र प्राप्त किये गए। संबंधित जनपद / नगरीय निकाय द्वारा प्राप्त आवेदन-मय-घोषणा पत्र की जांच उपरांत उनके नाम, लिंग, जन्म तिथि, पता, नियोजन आदि का सत्यापन कर पात्र पाये जाने पर विधिवत रूप से **जनकल्याण** पोर्टल पर पंजीयन कर उन्हें असंगठित श्रमिक पंजीयन प्रमाण-पत्र जारी किये गये। अल्प अवधि में योजनाओं के संचालन/ क्रियान्वयन के कारण असंगठित श्रमिकों को जारी किये गये पंजीयन प्रमाण-पत्र में **आधार नंम्बर को लिंक** एवं उनका सत्यापन **नहीं किया जा** सका और न ही सभी का **मोबाईल नंम्बर** अनिवार्यतः दर्ज किया गया। अतएव मुख्यमंत्री जन कल्याण (नया सवेरा) के अन्तर्गत असंगठित श्रमिकों को आधार सत्यापन उपरांत नवीन पंजीयन प्रमाण-पत्र जनकल्याण पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने के संबंध में निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैः-

मुख्यमंत्री जन कल्याण (नया सवेरा) के अन्तर्गत, असंगठित श्रमिकों को त्वरित गति से योजनाओं के लाभ, के साथ-साथ आयुष्मान भारत योजना का भी लाभ प्राप्त हो सके, इसे ध्यान में रखकर नवीन कार्ड (नया सवेरा) (पंजीयन प्रमाण-पत्र) **जिसमें** श्रमिक का **आधार e-KYC** उपरांत **सीडिंग** हो तथा **मोबाईल नम्बर दर्ज** हो प्रदाय किया जावेगा ।

2/ नवीन पंजीयन प्रदायकर्ता एजेन्सी का कार्य प्रदेश में कार्यरत लोक सेवा केन्द्र, सी०एस०सी० (कॉमन सर्विस सेन्टर) तथा एम०पी० ऑनलाईन के अधिकृत प्रतिनिधि व्दारा संपादित किया जावेगा।

4/6

नया सवेरा कार्ड उपलब्ध कराने हेतु श्रमिक के द्वारा:-

(1) पुराना कार्ड (संबल)

(2) आधार नम्बर

(3) मोबाईल नम्बर

की जानकारी सेवा प्रदायकर्ता अधिकृत केन्द्र पर उपलब्ध करानी होगी।

श्रमिकों के नाम एवं **आधार नम्बर का** बायो-मीट्रिक / **OTP** का उपयोग कर **e-KYC** से प्राप्त जानकारी के **सत्यापन के उपरांत,** नवीन लेमिनेटेड कार्ड जनकल्याण पोर्टल से जनरेट कर निशुल्क: प्रदाय किया जावेगा। **सेवा प्रदायकर्ता एजेन्सी को इस कार्य हेतु** देय दर का निर्धारण प्रमुख सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की अध्यक्षता में गठित समिति व्दारा किया जाएगा, और इसका भुगतान श्रम विभाग द्वारा इस योजना के लिए निर्धारित प्रशासनिक व्यय के लिए निर्धारित राशि से किया जायेगा।

3/ नवीन लेमिनेटेड कार्ड प्राप्त करने हेतु पंजीकृत असंगठित श्रमिक अपना पूर्व में जारी कार्ड अधिकृत सेवा प्रदायकर्ता को जमा करेगें। सेवा प्रदायकर्ता जनकल्याण पोर्टल पर श्रमिक के पंजीयन कार्ड तथा आधार नंबर में दर्ज विवरण का सत्यापन करेगा। सत्यापन करते समय **e-KYC** के माध्यम से आधार कार्ड में अंकित श्रमिक की जानकारी भी प्राप्त होगी। **e-KYC** के माध्यम से आधार कार्ड में अंकित जानकारी सत्यापित करने के लिए बायोमेट्रिक या आधार से संलग्न मोबाईल पर प्राप्त ओटीपी, दोनों में से किसी एक माध्यम का उपयोग किया जा सकता है।

4/ नवीन पंजीयन (नया सवेरा) कार्ड जारी करते समय निम्न परिस्थितियॉ संभावित हैं :-

(अ) **संबल कार्ड (पुराना कार्ड) और आधार कार्ड में अंकित जानकारी में समानता होने पर-** श्रमिक कार्ड में अंकित उम्र तथा लिंग आधार कार्ड **e-KYC** से प्राप्त **नाम, उम्र** तथा **लिंग** का **पूर्णत:** समानता होने पर सेवा प्रदायकर्ता केन्द्र जनकल्याण पोर्टल पर नवीन कार्ड प्रिन्ट करने के विकल्प

4/6

को चुनकर नवीन कार्ड प्रिन्ट कर श्रमिक को प्रदान कर सकेगा। ऐसा किये जाने पर सिस्टम के द्वारा यह जानकारी रिकार्ड की जा सकेगी कि किस श्रमिक को संबल कार्ड (पुराना कार्ड) के विरूद्ध नवीन पंजीयन (नया सवेरा) कार्ड जारी किया गया है।

(ब) **<u>संबल कार्ड (पुराना कार्ड) और आधार कार्ड की जानकारी में समानता न होने पर-</u>** श्रमिक कार्ड में अंकित नाम, उम्र तथा लिंग में स्पष्ट भिन्नता होने पर नवीन कार्ड जारी नहीं किया जावेगा तथा ऐसे प्रकरणों को पदाभिहित अधिकारी को प्रेषित किये जाने के विकल्प का चयन कर ऑनलाईन प्रकरण प्रेषित कर दिया जाये। ऐसे प्रेषित प्रकरण संबंधित पोर्टल पर प्रदर्शित होंगे, जिसमें संबल कार्ड (पुराना कार्ड) में दर्ज जानकारी तथा आधार कार्ड में दर्ज जानकारी प्रेषित होगी। उपरोक्त जानकारी का परीक्षण कर पदाभिहित अधिकारी को कार्ड जारी करना है अथवा नहीं का निर्णय ले सकेंगे तथा उनके द्वारा कार्ड जारी करने का निर्णय लिये जाने पर यह प्रकरण पुन: सेवा प्रदायकर्ता के इनबॉक्स में वापस जायेगा, जहॉ आधार कार्ड में दर्ज जानकारी के अनुसार नवीन पंजीयन कार्ड जारी किया जा सकेगा। ऐसा करने पर संबल कार्ड (पुराना कार्ड) में दर्ज विवरण स्वमेव, आधार कार्ड में दर्ज विवरण के अनुसार परिवर्तित हो जावेगा तथा इसकी जानकारी संबंधित पदाभिहित अधिकारी को दी जाना होगी, **<u>तद्नुसार हितग्राही के पंजीयन विवरण / समग्र विवरण में भी पदाभिहित अधिकारी द्वारा संशोधित किया जावेगा।</u>**

(स) **<u>संबल कार्ड (पुराना कार्ड) और आधार कार्ड में अंकित जानकारी में साधारण भिन्नता -</u>** संबल कार्ड में अंकित नाम की स्पेलिंग, पता में त्रुटि जानकारियों में साधारण भिन्नता की श्रेणी में आयेगीं तथा ऐसे प्रकरणों में सेवा प्रदायकर्ता स्वविवेक से नवीन पंजीयन कार्ड (नया सवेरा) अद्यतन जानकारी के साथ आधार कार्ड में अंकित जानकारी के अनुसार जारी कर सकेंगे। उक्त अनुसार पंजीयन में उल्लेखित विवरण संशोधित हो जायेगा। समग्र आई.डी विवरण में भी पदाभिहित अधिकारी द्वारा संशोधन किया

Tanduna 4/6

जावेगा। इस सुविधा का दुरूपयोग करने पर संबंधित सेवा प्रदायकर्ता के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

5/ प्रत्येक जारी किये गये नवीन पंजीयन कार्ड (नया सवेरा) के विरूद्ध संबल कार्ड में दर्ज विवरण तथा आधार कार्ड में दर्ज विवरण स्वचालित प्रक्रिया के माध्यम से पोर्टल पर सुरक्षित रहेंगे, जिससे इस बात की समीक्षा कभी भी की जा सकेगी कि जारी किये गये पंजीयन कार्ड उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति को ही किये गये हैं। इस प्रक्रिया में किस केन्द्र द्वारा व कब नवीन पंजीयन (नया सवेरा) कार्ड जारी किया गया है यह विवरण भी संधारित होगा।

6/ समस्त जारी किये गये कार्ड की सम्पूर्ण जानकारी यथा समग्र में दर्ज विवरण, आधार में दर्ज विवरण, विसंगति का विवरण इत्यादि का स्वचालित प्रक्रिया के तहत मुख्यमंत्री जन कल्याण पोर्टल में उपलब्ध रहेगा। जिससे किसी भी समय इस बात की संतुष्टि की जा सके कि जारी किये गये कार्ड पात्र श्रमिक को ही प्रदाय किये गये हैं। नवीन पंजीयन कार्ड (नया सवेरा) ऑनलाइन जारी किए जाने हेतु "जन कल्याण पोर्टल" का उपयोग किया जायेगा। मुख्यमंत्री जन कल्याण पोर्टल में आवश्यक संशोधन **NIC** द्वारा किया जावेगा।

7/ सेवा प्रदायकर्ता एजेन्सी द्वारा एकत्रित पुराने कार्ड (संबल) जिले के श्रम कार्यालय में जमा कराये जायेंगे व इसकी जानकारी संबंधित श्रम कार्यालय द्वारा पोर्टल पर दर्ज की जावेगी। इसके उपरांत श्रम कार्यालय द्वारा पोर्टल से पावती प्रिंट कर संबंधित ऐजेंसी का दी जायेगी। रिप्रिन्ट कराये गये कार्ड की संख्या के मिलान के आधार पर प्रत्येक 15-15 दिवस के अन्तराल में सेवा प्रदायकर्ता द्वारा राशि की मांग श्रम अधिकारी कार्यालय से की जायेगी, मांग की गई राशि ई-पेमेंट के माध्यम से सेवा प्रदाता को प्रदाय की जावेगी।

Tandamee
4/6

8/ सेवा प्रदायकर्ता की यह जवावदारी होगी कि जो भी असंगठित श्रमिक अपना पुराना कार्ड लेकर उनके कार्यालय / केंद्र में जावेगा उसे उसी दिन **e-KYC** एवं आधार सत्यापन कर नवीन कार्ड (नया सवेरा) रिप्रिन्ट एवं लेमिनेट कराकर प्रदाय किया जाए, ताकि असंगठित श्रमिकों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो।

9/ सहायक श्रमायुक्त / श्रम अधिकारी / सी.ई.ओं. / आयुक्त / सी.एम.ओ. नगरीय निकाय द्वारा सेवा प्रदायकर्ता द्वारा प्राप्त किये हुए पुराने कार्ड तथा **e-KYC** एवं आधार सत्यापन के उपरांत जनकल्याण पोर्टल से ऑनलाइन जारी नवीन कार्ड (नया सवेरा) की निरन्तर समीक्षा की जावेगी तथा प्रगति प्रतिवेदन संबंधित कलेक्टर तथा श्रमायुक्त, इन्दौर मध्यप्रदेश को भेजा जावेगा। कार्ड रिप्रिन्ट का आप्शन केवल एक ही बार आएगा। अत: कार्ड जारी करने के पूर्व पूर्ण सावधानी रखने का दायित्व केन्द्र प्रभारी का होगा।

10/ जिला कलेक्टर द्वारा प्रत्येक सप्ताह पुराने कार्ड (संबल) के बदले नवीन कार्ड (नया सवेरा) जारी करने की समीक्षा की जावेगी तथा निर्धारित समय में समस्त पुराने कार्ड (संबल) जमा हो जावे तथा उनके स्थान पर नवीन कार्ड (नया सवेरा) रिप्रिन्ट एवं लेमिनेट होकर संबंधित श्रमिक को प्राप्त हो जावे, यह सुनिश्चित किया जावेगा।

उपरोक्तानुसार कार्ययोजना का क्रियान्वयन 15 सितम्बर तक पूर्ण किया जायेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(वंदना मेहरा अटूट) 4/6
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग

पृ.क्रमांक एफ 28-02-2019/ए-16 भोपाल, दिनॉक 04/6/19

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. श्रमायुक्त, इन्दौर की ओर पृथक से दिशा निर्देश सभी जिला कलेक्टर/पदाविहीत अधिकारियों को जारी किये जाने हेतु प्रेषित।
3. आयुक्त संभाग (समस्त) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. जिला कलेक्टर (समस्त) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. श्री सुनील जैन, वरिष्ठ तकनीकि निर्देशक, **NIC**, भोपाल, की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. सचिव, मध्यप्रदेश असंगठित कर्मकार कल्याण मण्डल, भोपाल, की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग